Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव

Sangita Tripathi
Research Scholar
Department- Home Science
P.K. University, shivpuri (m.p.)
aradhanasri20@gmail.com
Prof. Aradhana Srivastava
Supervisor

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE

सारांश

अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव" शीर्षक वाला यह अध्ययन जांच करता है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कानूनी सुधारों और कल्याणकारी पहलों ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया है। वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, यह शोध अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 110 उत्तरदाताओं से एकत्र किए गए प्राथमिक और माध्यमिक डेटा दोनों पर आधारित है। यह अध्ययन आर्थिक गतिविधि, अधिकारों के बारे में जागरूकता और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच के संकेतकों के साथ–साथ आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म और शिक्षा जैसे जनसांख्यिकीय चर का विश्लेषण करता है। निष्कर्षों से पता चलता है कि 54% उत्तरदाता 21–40 वर्ष के सक्रिय आयु वर्ग के हैं और लगभग 80% हिंदू समुदाय से हैं, जबकि 34% निरक्षर हैं और केवल 8% ने स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी प्रमुख सरकारी पहलों ने आजीविका के अवसरों को बढ़ाया है और सामाजिक–आर्थिक समावेश को बढ़ावा दिया है, फिर भी जाति–आधारित भेदभाव, सीमित जागरूकता, असमान मजदूरी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कम भागीदारी के कारण लगातार असमानताएं बनी हुई हैं।

कीवर्ड: अनुसूचित जाति की महिलाएँ, सशक्तिकरण, सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, कानूनी जागरूकता, सामाजिक–आर्थिक विकास.

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

1. परिचय

भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण लंबे समय से सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और सतत विकास की आधारशिला रहा है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन केवल सामाजिक सुधार के मामले नहीं हैं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समानता, गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवैधानिक अनिवार्यताएं भी हैं। कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15), सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर (अनुच्छेद 16), और समान काम के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39क) की गारंटी देने वाले कई संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, महिलाएं – विशेष रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाएं – लिंग और जाति पदानुक्रम दोनों से उत्पन्न होने वाले नुकसान की कई परतों का सामना करती रहती हैं। इन संरचनात्मक असमानताओं ने ऐतिहासिक रूप से ै६ महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, सम्मानजनक रोजगार और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा है, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो गई है।

भारतीय संविधान और बाद के कानूनी ढांचे ने सकारात्मक कार्रवाई, विधायी सुधारों और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन असंतुलनों को दूर करने की कोशिश की है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम (2017), और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) जैसे महत्वपूर्ण कानून सामूहिक रूप से महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक–आर्थिक भागीदारी की रक्षा करना चाहते हैं। इसके अलावा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, MGNREG, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी विकास–उन्मुख पहलों ने शिक्षा, आय सृजन, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के माध्यम से हाशिए पर पड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की है।

हालांकि, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में – खासकर इसके ग्रामीण जिलों में – ये कल्याणकारी उपाय अक्सर अशिक्षा, जागरूकता की कमी, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिरोध और कमजोर संस्थागत वितरण तंत्र के कारण कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करते हैं। डॉ. बी. आर. अंबेडकर के नाम पर रखा गया अंबेडकर नगर जिला, अपनी बड़ी अनुसूचित जाति आबादी और मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के कारण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। इन समुदायों की महिलाएं, उनके उत्थान के लिए डिजाइन किए गए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों की उपस्थिति के बावजूद, गरीबी, जाति–आधारित भेदभाव और लैंगिक असमानता की चुनौतियों का सामना करती रहती हैं।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

1.1 अध्ययन के उद्देश्य

- अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की आय, व्यवसाय, आवास और रहने की स्थिति के संदर्भ में उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
- उत्तरदाताओं की शैक्षिक प्रोफाइल और साक्षरता स्तरों और रोजगार के अवसरों, आत्मनिर्भरता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और उपयोग की सीमा की जांच करना।
- लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और अनुसूचित जाति की महिलाओं को जाति–आधारित भेदभाव, हिंसा और शोषण से बचाने में कानूनी प्रावधानों और सामाजिक नीतियों की भूमिका का मूल्यांकन करना।

2. साहित्य समीक्षा

अरुणम्मा और रमना (2022) ने सेल्फ–हेल्प ग्रुप के जरिए ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर माइक्रोफाइनेंस के असर पर एक स्टडी की और पाया कि में हिस्सा लेने से महिलाओं की क्रेडिट तक पहुंच, बचत का व्यवहार और घर के अंदर फैसले लेने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। उनके रिसर्च में यह बात सामने आई कि माइक्रोफाइनेंस की पहल से न केवल इनकम का लेवल बढ़ा, बल्कि हाशिए पर पड़ी जातियों की महिलाओं में आत्मविश्वास, सोशल नेटवर्किंग और सामूहिक एकजुटता भी मजबूत हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि सीमित फाइनेंशियल लिटरेसी और अपर्याप्त संस्थागत समर्थन ने सशक्तिकरण के नतीजों की लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता को सीमित कर दिया।

भारद्वाज (2002) ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी योजनाओं के ढांचे के भीतर गांधी के सामाजिक दृष्टिकोण और अंबेडकर के राजनीतिक दृष्टिकोण की तुलना करके भारत में अनुसूचित जातियों के कल्याण की जांच की। इस स्टडी में इस बात पर जोर दिया गया कि जहां गांधी ने नैतिक सुधार और सामाजिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं अंबेडकर ने कानूनी और संवैधानिक उपायों के माध्यम से संरचनात्मक और राजनीतिक सशक्तिकरण की वकालत की। भारद्वाज ने निष्कर्ष निकाला कि कई कल्याणकारी कार्यक्रमों और सुरक्षात्मक कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, असली चुनौती इन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में थी, जहां जाति–आधारित असमानताएं बनी हुई थीं।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

बोस और दास (2014) ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREG) के तहत भागीदारी बढ़ाने में महिलाओं के आरक्षण की भूमिका का विश्लेषण किया। उनके रिसर्च से पता चला कि MGNREG में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति ने ग्रामीण रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, जिससे अधिक वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक पहचान मिली है। हालांकि, लेखकों ने बताया कि वेतन में असमानता, अनियमित भुगतान और ग्रामीण महिलाओं में सीमित जागरूकता जैसे सिस्टम से जुड़ी समस्याओं ने कार्यक्रम की परिवर्तनकारी क्षमता को कम कर दिया। इस स्टडी में महिला श्रमिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत जवाबदेही और लिंग–संवेदनशील नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

चौधरी एट अल. (2021) ने उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई महिला अध्यक्षों की स्थिति और विशेषताओं का पता लगाया और पाया कि अनुसूचित जाति की महिला नेताओं को औपचारिक राजनीतिक पदों पर होने के बावजूद अक्सर कई स्तरों पर हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है। इस स्टडी से पता चला कि पितृसत्तात्मक मानदंड, जातिगत पदानुक्रम और सीमित प्रशासनिक अनुभव ने स्थानीय शासन में स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डाली। लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि हालांकि राजनीतिक आरक्षण ने प्रतिनिधित्व के रास्ते खोले हैं, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण के लिए क्षमता निर्माण, नेतृत्व प्रशिक्षण और सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को खत्म करने की आवश्यकता है जो महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करते हैं।

3. अनुसंधान क्रियाविधि

यह स्टडी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव की जांच करने के लिए एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल करती है। यह डिजाइन मौजूदा सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, शैक्षिक स्थिति, और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की महिला लाभार्थियों के बीच जागरूकता और भागीदारी के स्तर की व्यवस्थित समझ को आसान बनाने के लिए चुना गया था। यह रिसर्च प्रकृति में अनुभवजन्य और व्याख्यात्मक दोनों है, जो फील्ड जांच और माध्यमिक दस्तावेजीकरण के माध्यम से एकत्र किए गए तथ्यात्मक डेटा पर निर्भर करती है।

3.1 डेटा स्रोत

यह स्टडी डेटा के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों पर आधारित है।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

- **प्राथमिक डेटा:** प्राथमिक डेटा सीधे उत्तरदाताओं से संरचित साक्षात्कार और जनसांख्यिकीय विशेषताओं, शैक्षिक उपलब्धि, रोजगार पैटर्न, आय स्तर, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता, और सरकारी योजनाओं तक पहुंच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए एक पूर्व–परीक्षित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया था।
- **माध्यमिक डेटा:** माध्यमिक जानकारी सरकारी रिपोर्ट, जनगणना डेटा, शैक्षणिक प्रकाशन, जिला–स्तरीय रिकॉर्ड, नीति दस्तावेज, और प्रासंगिक कानूनी ढांचे से एकत्र की गई थी। इन स्रोतों ने निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने और विश्लेषण के लिए एक तुलनात्मक आधार प्रदान करने में मदद की।

3.2 नमूना डिजाइन

इस स्टडी में अंबेडकर नगर जिले के विभिन्न गांवों और इलाकों से ली गई 110 अनुसूचित जाति की महिलाओं का एक नमूना शामिल था। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और आयु समूहों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण नमूना विधि अपनाई गई थी, जो लक्षित आबादी का एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है। उत्तरदाताओं का चयन ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों से किया गया था जहां कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सक्रिय और मापने योग्य था।

3.3 विश्लेषण की तकनीकें

एकत्र किए गए डेटा को सारणीबद्ध, वर्गीकृत और सार्थक व्याख्या प्राप्त करने के लिए सरल प्रतिशत और आवृत्ति वितरण विधियों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, शिक्षा, आय और जागरूकता स्तर से संबंधित रुझानों की पहचान करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया था। प्रमुख चर और उनके अंतर्संबंधों को देखने के लिए ग्राफ और चार्ट का उपयोग किया गया था।

4. परिणाम और चर्चा

अंबेडकर नगर जिले में 110 अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाताओं से इकट्ठा किए गए प्राइमरी डेटा का विश्लेषण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, जागरूकता के स्तर और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं ने उनके सशक्तिकरण को किस हद तक प्रभावित किया है, इसकी एक पूरी तस्वीर पेश करता है। परिणामों को मुख्य आयामों जैसे आर्थिक स्थिति, शैक्षिक और कानूनी जागरूकता, और कल्याणकारी लाभों तक पहुंच को समझने के लिए विषय के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। हर वेरिएबल यह दिखाता है कि संवैधानिक और नीतिगत हस्तक्षेप जमीनी स्तर पर जीवन के अनुभवों में कैसे बदलते हैं। इसके बाद की चर्चा इन अनुभवजन्य निष्कर्षों की व्याख्या करती है, जिसमें कल्याणकारी पहलों के माध्यम से हासिल की

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

गई प्रगति और लगातार बनी हुई संरचनात्मक बाधाओं – जैसे गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और संस्थागत अक्षमताएं – पर प्रकाश डाला गया है, जो जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच लैंगिक और सामाजिक न्याय की पूरी प्राप्ति में बाधा डालती हैं।

4.1 आर्थिक स्थिति और व्यवसाय

अंबेडकर नगर में अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी काफी सीमित बनी हुई है। ज्यादातर उत्तरदाता असंगठित और कम आय वाले व्यवसायों जैसे कृषि मजदूरी, घरेलू काम और छोटे पैमाने पर सामान बेचने में लगी हुई हैं। बहुत कम लोगों को नियमित वेतन वाली या सरकारी नौकरी मिलती है। यह व्यावसायिक पैटर्न जाति–आधारित व्यावसायिक अलगाव और औपचारिक आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच को दर्शाता है।

तालिका 4.1: उत्तरदाताओं का व्यावसायिक वितरण

पेशा का प्रकार	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
खेतिहर मजदूर	40	36.4
घरेलू कामगार	24	21.8
स्वरोजगार / छोटे विक्रेता	20	18.2
कुशल श्रमिक (जैसे सिलाई, हस्तशिल्प)	15	13.6
सरकारी / निजी नौकरियाँ	6	5.5
बेरोजगार / गृहिणी	5	4.5
कुल	**110**	**100.0**

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

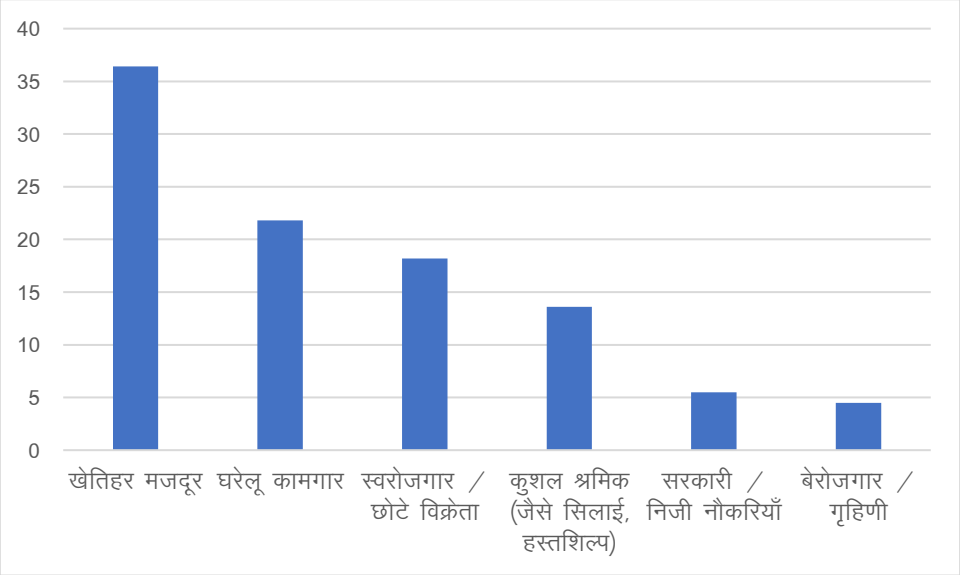

चित्र 1: उत्तरदाताओं का व्यावसायिक वितरण

डेटा से पता चलता है कि ज़्यादातर (76%) जवाब देने वाली महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, जिनमें खेतिहर मजदूर (36.4%) और घरेलू कामगार (21.8%) सबसे बड़ी कैटेगरी हैं। सिर्फ 5.5% महिलाओं को फॉर्मल या सरकारी नौकरी मिल पाती है, जो ऑर्गेनाइज़्ड लेबर मार्केट में शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए सीमित मौकों को दिखाता है। ये नतीजे हाशिये पर पड़ी महिलाओं के बीच स्थिर और सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टारगेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, माइक्रोफाइनेंस सुविधाओं तक पहुंच और नौकरी–उन्मुख शिक्षा की जरूरत पर जोर देते हैं।

4.2 कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता

तालिका 4.2 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए मुख्य कानूनी प्रावधानों के बारे में जवाब देने वालों की जागरूकता को संक्षेप में बताता है। इसमें घरेलू हिंसा, समान वेतन, मातृत्व लाभ और जाति–आधारित अत्याचारों से सुरक्षा से संबंधित मुख्य कानून शामिल हैं।

तालिका 4.2: कानूनी अधिकारों और सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूकता

कानूनी अधिनियम / प्रावधान	**जागरूक उत्तरदाताओं**	**प्रतिशत**
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005	20	18.2
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	14	12.7

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	24	21.8
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	17	15.5
मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 (संशोधित)	13	11.8
उपरोक्त में से कोई नहीं	22	20.0
कुल	**110**	**100.0**

डेटा से पता चलता है कि शेड्यूल कास्ट महिलाओं में कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बहुत कम है, केवल 18–22% उत्तरदाता ही जरूरी सुरक्षा कानूनों से परिचित हैं।

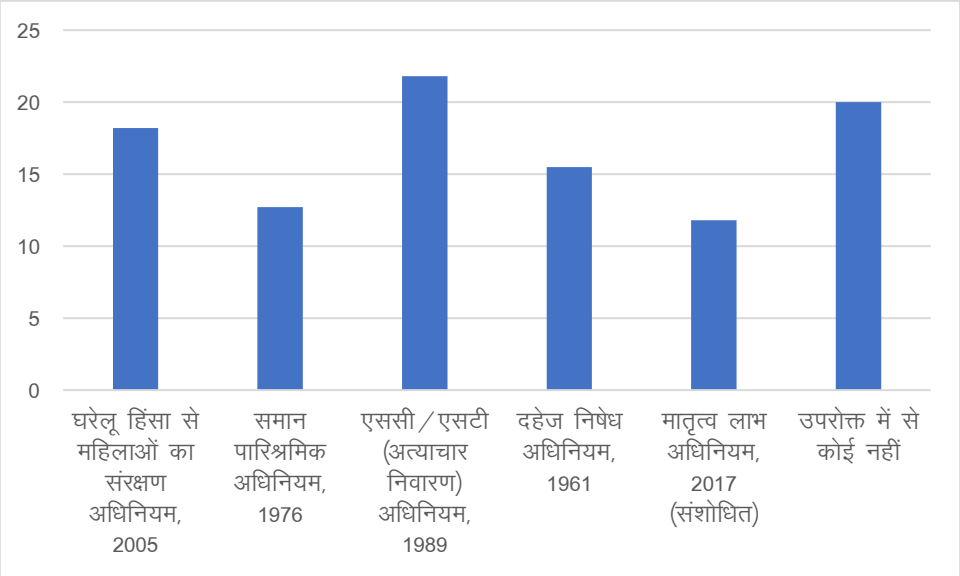

चित्र 2: कानूनी अधिकारों और सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूकता

खास तौर पर, (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) सबसे ज्यादा पहचाना गया, जो यह बताता है कि जाति–आधारित भेदभाव के अनुभवों ने उस क्षेत्र में कुछ जागरूकता पैदा की है। हालांकि, समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम के बारे में अज्ञानता संस्थागत कानूनी शिक्षा कार्यक्रमों की खराब पहुंच को दर्शाती है। परिवार के बड़े–बुजुर्गों या समुदाय के नेताओं के माध्यम से अनौपचारिक संघर्ष समाधान पर ज्यादा निर्भरता औपचारिक कानूनी तंत्र में विश्वास की कमी को दर्शाती है। यह शेड्यूल कास्ट महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने और उनकी रक्षा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

जमीनी स्तर पर कानूनी साक्षरता अभियान, जागरूकता शिविर और महिला कानूनी सहायता प्रकोष्ठों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

4.3 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और उनका उपयोग

तालिका 4.3 महिलाओं के उत्थान और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए डिजाइन की गई चुनिंदा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उत्तरदाताओं के बीच जागरूकता के स्तर को दर्शाती है। इन योजनाओं में आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

तालिका 4.3: प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता

सरकारी योजना	**जागरूक उत्तरदाताओं**	**प्रतिशत**
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	70	63.6
प्रधानमंत्री आवास योजना	62	56.4
मनरेगा (रोजगार योजना)	77	70.0
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	55	50.0
जननी सुरक्षा योजना	40	36.4
स्वधार गृह / महिला पुनर्वास गृह	22	20.0
कुल उत्तरदाता	**110**	100

निष्कर्षों से पता चलता है कि MGNREG। (70%) के लिए जागरूकता का स्तर सबसे ज्यादा है, इसके बाद उज्ज्वला योजना (63.6%) और आवास योजना (56.4%) का नंबर आता है – ये ऐसी योजनाएँ हैं जो रोजगार, खाना पकाने की गैस या आवास जैसे सीधे और साफ फायदे देती हैं। इसके उलट, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़ी योजनाएँ, जैसे जननी सुरक्षा योजना (36.4%) और स्वधार गृह (20%), कम जागरूकता और भागीदारी दिखाती हैं, जिसका मुख्य कारण कम पहुँच और स्थानीय स्तर पर जानकारी की कमी है।

Airo International Journal
Peer-Reviewed
Multidisciplinary

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

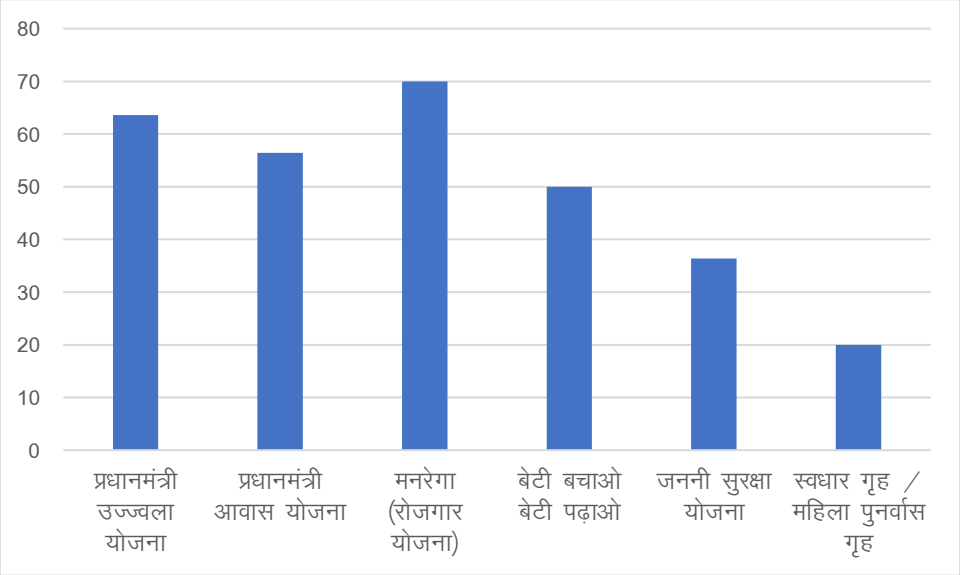

चित्र 3: प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता

कई उत्तरदाताओं ने नौकरशाही की बाधाओं, लंबे कागजी काम और अधिकारियों से सीमित सहायता पर निराशा व्यक्त की। ये परिणाम सभी योग्य महिलाओं तक लाभ प्रभावी ढंग से पहुँच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरल प्रक्रियाओं, बेहतर जागरूकता अभियानों और डिजिटलाइज्ड निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

5. निष्कर्ष

अंबेडकर नगर जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव पर यह अध्ययन बताता है कि समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई संवैधानिक प्रावधानों और कल्याणकारी पहलों के अस्तित्व के बावजूद, उनके व्यावहारिक परिणाम असमान बने हुए हैं। 110 उत्तरदाताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति की महिलाएँ आर्थिक असुरक्षा, कम शैक्षिक स्तर और सीमित व्यावसायिक गतिशीलता का अनुभव करती रहती हैं। हालाँकि MGNREG प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं ने आय सृजन, आवास सुविधाओं और आत्मविश्वास में सुधार किया है, लेकिन हासिल किया गया समग्र सशक्तिकरण अभी भी अधूरा है। लगातार सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ, जातिगत पूर्वाग्रह और कानूनी अधिकारों के बारे में अपर्याप्त जागरूकता संस्थागत लाभों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक उनकी पहुँच में बाधा डालती है। निष्कर्षों से पता चलता है कि सच्चा सशक्तिकरण आर्थिक सहायता से कहीं ज्यादा हैय इसके लिए शिक्षा, कानूनी साक्षरता, सामाजिक भागीदारी और अवसर की समानता में व्यापक प्रगति की आवश्यकता है। महिलाओं की साक्षरता और कौशल विकास को मजबूत करना, कल्याणकारी कार्यक्रमों

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर लिंग–संवेदनशील शासन को बढ़ावा देना स्थायी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी जागरूकता को स्वयं सहायता समूहों और समुदाय–आधारित संगठनों के माध्यम से संस्थागत बनाया जाना चाहिए, जबकि कल्याण विभागों के बीच मजबूत समन्वय दक्षता और पहुँच को बढ़ा सकता है।

संदर्भ

1. *अरुणम्मा, सी., और रमना, जी. वी. (2022). स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सूक्ष्म वित्त का प्रभावरू एक अध्ययन। अशोक यक्काल्देवी।*
2. *भारद्वाज, ए. (2002). भारत में अनुसूचित जातियों का कल्याणरू गांधी का सामाजिक दृष्टिकोणरू अंबेडकर का राजनीतिक दृष्टिकोण, संवैधानिक सुरक्षा उपाय, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ। दीप एंड दीप पब्लिकेशंस।*
3. *बोस, एन., और दास, एस. (2014, सितंबर). महिला आरक्षण और भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।*
4. *चौधरी, पी., रॉय, टी., वर्मा, के., भारती, आर., और वर्मा, एस. (2021). मायावी सशक्तिकरणरू उत्तर प्रदेश, भारत में जिला परिषदों की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई महिला अध्यक्षों की विशेषताएँ। कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ लोकल गवर्नेंस, (25), 5–19।*
5. *झा, एम., और त्रिपाठी, वी. डी. (2016). कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकनरू इलाहाबाद जिले के दो अंबेडकर गाँवों का एक केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 62(4), 845–856।*
6. *कराडे, जे. (सं.). (2009). भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विकास। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स पब्लिशिंग।*
7. *कुलाल, ए. (2021). कर्नाटक में अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव।ैत्छ 3978882 पर उपलब्ध।*
8. *कुमार, एन., और टीम। (2013). अंबेडकर गाँव ग्राम विकास का एक विकल्परू लखनऊ से केस स्टडी। वॉयस ऑफ दलित, 6(1), 9–24।*
9. *मलिक, एफ., और मलिक, एच. (2022). कश्मीर में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण।*
10. *मलिक, एच. (2020). कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं की भूमिका। स्टडीज इन इंडियन प्लेस नेम्स, 40(40), 2773–2780।*
11. *नागनाहल्ली, वी. एस. (2014). भारत में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण। लुलु। कॉम*

ISSN: 2320-3714
Volume: 4 Issue: 3
December 2025
Impact Factor: 11.9
Subject: Home Science

12. पटेल, डी. (2016). शिक्षा और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए इसका राजनीतिक संदभर्रू अंबेडकर नगर जिले पर आधारित एक अध्ययन। जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, 41(4), 132–143.
13. सेडवाल, एम., और कामत, एस. (2008). शिक्षा और सामाजिक समानतारू प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान। ब्त्म्।ज्म् च्ंजीूंले जव ।बबमे. रिसर्च मोनोग्राफ नंबर 19..
14. सिंह, आर. (2022). पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँरू एक अवलोकन। एशियन जर्नल ऑफ मल्टीडाइमेंशनल रिसर्च, 11(1), 29–43.
15. जेंडे, एस. (2011). महाराष्ट्र, भारत में स्थानीय स्वशासन में भाग लेने वाली दलित महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण की प्रक्रियारू समावेशी जमीनी स्तर के लोकतंत्र का एक उदाहरणझं

Author’s Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

Sangita Tripathi
Prof. Aradhana Srivastava

******